

Examrace

भाग-1 राष्ट्रपति (Part-1: President) for Competitive Exams

Glide to success with Doorsteptutor material for UGC : Get **detailed illustrated notes covering entire syllabus**: point-by-point for high retention.

राष्ट्रपति (President)

अनु. 52:- भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

योग्यता-

- वह भारत का नागरिक हो।
- वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- वह लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।

शर्त- वह कोई लाभ का पद धारण न किया हो

राष्ट्रपति के लाभ के पद के अंतर्गत बनाया गया कानून संसद बनाता है। लाभ के पद में क्या शामिल हो क्या न हो इसका निर्णय राष्ट्रपति के हाथों में है।

अपवाद-

- राष्ट्रपति का पद
- उप राष्ट्रपति का पद
- राज्यपाल
- संघ का मंत्री
- राज्य का मंत्री

राष्ट्रपति का निर्वाचन:- राष्ट्रपति का निर्वाचन 'अप्रत्यक्ष निर्वाचन' प्रणाली द्वारा तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पर आधारित एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है।



निश्चित कोटा प्राप्त करने वाला सदस्य जीतेगा

कुल डाले गये वैध मत

+1

2

प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली, जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करेगा



- लोक सभा एम.पी. (मध्यप्रदेश)
- विधान सभा एम.एल.ए
- पंचायत
- नगरपालिका
- राष्ट्रपति के निर्वाचन में अभ्यर्थी होने के लिए आवश्यक है कि कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिए अपना नामांकन करते समय 15000 रु. की धनराशि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करे और उसके नामांकन पत्र का प्रस्ताव कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा किया जाना चाहिए तथा कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा उसके नामांकन पत्र का समर्थन भी किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है इसमें निम्न शामिल है

निर्वाचक मंडल-

- संसद (लोक सभा व राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य
- राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य

Developed by: **Mindsprite Solutions**